Contact : 7905372252, 7408287570, 8765041972

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांकः बेसिक/मान्यता/ 16070-070 /2018-19 दिनांक 2.1/19

...क,

बाबू राम उजागिर सिंह कान्वेंट स्कूल,
मेवपुर बरचौली करौंदीकला,सुलतानपुर।

...: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

...दय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति-निर्देश से, मैं ... बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर आपके विद्यालय को दिनांक 21.01.2019 से दिनांक 21.01.2022 तक ... वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08(अंग्रेजी माध्यम) तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ...चना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

मान्यता की मंजूरी विस्तारीकरण नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबन्ध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

(i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त, विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलाप में नियोजित नहीं करेंगे।

... विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Principal
B.R.U.S Convent School
Meopur, Barchauli, Sultanpur

Principal
St. Xavier's High School
Azamgarh (U.P.)

B.R.U.S. CONVENT SCHOOL
Meopur, Barchauli-Sultanpur

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखे… अंतिम निरीक्षण के समय श्री गुलाबचन्द, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र–करौंदीकला द्वारा रिपोर्ट… गयी सुविधाएं निम्नानुसार है–

		कक्षों की संख्या–	20
	हाँ		उपलब्ध
क्रीडास्थल का क्षेत्रफल–			उपलब्ध
प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह भंडारगार के लिये कक्ष–			उपलब्ध
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–			उपलब्ध
मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई–		बाधारहित पहुंच–	हाँ
पेयजल सुविधा–	उपलब्ध		उपलब्ध
अतिरिक्त पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–			

9– विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं… चलायी जायेगी।

10– विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयो… के लिये किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसा… द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं च… जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमा… किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक… विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक– 17/2019 है। कृपया इसे नोट कर ले और… कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शि… अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता… जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों… दूर करने के लिये जारी किये जाए।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17– विभाग द्वारा दिये जाने वाले यू–डायस प्रपत्र पर सूचना भरकर समयान्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

18– संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सुलतानपुर।

पृ०सं० पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।

Principal
B.R.U.S. Convent School
Barchaula, Sultanpur

नीलम सिंह

B.R.U.S. CONVENT SCHOOL
Barchaula Sultanpur

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सुलतानपुर।